भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001

फा0सं0 रा0भा0 1(4)/2016–हिन्दी

दिनांक :18 अक्तूबर, 2016

कार्यवृत्त

विषयः– कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की दिनांक 15.9.2016 को सम्पन्न हुई संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विशेष बैठक का कार्यवृत्त

अपर सचिव डेयर एवं सचिव भाकृअप की अध्यक्षता में **दिनांक 15.9.2016 को पूर्वाह्न 10:30 बजे महात्मा ज्योतिबा फुले समिति कक्ष (भू–तल), कृषि भवन,** नई दिल्ली में डेयर सहित परिषद की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विशेष बैठक सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त सूचना, अनुपालन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। अनुरोध है कि इस पर अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करें। ताकि समिति की अगली बैठक नियत समय पर बुलाई जा सके।

संलग्नः उपर्युक्त वर्णित।

सीमा चोपड़ा
(सीमा चोपड़ा) 13.10.16
उप निदेशक (राजभाषा)

वितरण :–

1. डेयर सहित भाकृअप की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य।
2. डेयर सहित भाकृअप तथा कृषि अनुसंधान भवन–I/II, पूसा के सभी अधिकारी/अनुभाग।
3. परिषद के अधीनस्थ सभी संस्थानों आदि के निदेशक।
4. उप–निदेशक (कार्या.) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, ए–149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली–110023 ।
5. उप–निदेशक (रा.भा.) एवं सदस्य सचिव (नराकास) आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली।
6. अवर सचिव (प्रशासन) डेयर, कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. सहायक निदेशक (राजभाषा) डेयर, कृषि भवन, नई दिल्ली।

दिनांक 15.09.2016 को डेयर सहित परिषद की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विशेष बैठक का कार्यवृत्त

अपर सचिव, डेयर एवं सचिव, भा.कृ.अ.प. की अध्यक्षता में डेयर सहित परिषद मुख्यालय में हिन्दी चेतना मास 2016 (14 सितम्बर, 2016 से 13 अक्टूबर, 2016 तक) उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों के अलावा अन्य अधिकारी/कर्मचारी भी उपस्थित थे। हिन्दी चेतना मास के उद्घाटन समारोह के अपने सम्बोधन में सचिव महोदय ने अपने सरकारी काम–काज में सरल एवं आम बोल–चाल की हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया। अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2016–17 के वार्षिक कार्यक्रम के मुख्य–मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए सभी से आग्रह किया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के हर संभव प्रयास किए जाएं। सचिव महोदय द्वारा जिन बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया वे इस प्रकार हैं:–

क्र.सं.	मदें	लक्ष्य
1	हिन्दी में मूल पत्राचार	1. क से क क्षेत्र को 100 प्रतिशत 2. क से ख क्षेत्र को 100 प्रतिशत 3. क से ग क्षेत्र को 65 प्रतिशत
2	हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिया जाना	शत प्रतिशत
3	हिन्दी में फाइलों पर टिप्पण	75 प्रतिशत
4	हिन्दी टंकण और आशुलिपिक की भर्ती	80 प्रतिशत
5	हिन्दी प्रशिक्षण (भाषा टंकण एवं आशुलिपि)	शत प्रतिशत
6	पुस्तकों की खरीद	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान का 50 प्रतिशत राशि खर्च की जाए। इस खर्च में हिन्दी ई–पुस्तकों, सीडी/डीवीडी, पैन ड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा हिन्दी की पुस्तकें और पत्रिकाएं भी राजभाषा विभाग के आदेशानुसार खरीद की जाए।

7	कम्प्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद	शत प्रतिशत द्विभाषी
8	कार्यालय की वेबसाइट	शत प्रतिशत द्विभाषी
9	कोड़ मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिन्दी अनुवाद	शत प्रतिशत
10	विज्ञापनों पर खर्च की जाने वाली राशि	50–50 प्रतिशत राशि हिन्दी और अंग्रेजी के विज्ञापनों पर खर्च की जाए।
11	धारा 3(3) का अनुपालन	धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजातों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में ही जारी किया जाए। धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात निम्नलिखित हैं:– संकल्प, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें, सभी आदेश, अनुदेश, पत्र ज्ञापन, नोटिस, परिपत्र, संविदाएं, करार, लाइसेंस, परमिट, निविदा सूचनाएं और संसद के किसी सदन अथवा दोनों सदनों के सभी पटलों पर रखे जाने वाले सभी सरकारी दस्तावेज।

उपरोक्त बिन्दुओं पर चर्चा करने के अलावा बैठक में निम्नलिखित निर्णय भी लिए गए:

1. सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने–अपने स्तर पर फाइलों में अधिक से अधिक टिप्पणियां में हिन्दी लिखें तथा पत्रों के प्रारूप स्वयं हिन्दी में तैयार करें और जहां कहीं भी कठिनाई हो तो हिन्दी अनुभाग की सहायता लें।
2. परिषद के सभी वरिष्ठ अधिकारी अपने–अपने स्तर से मंत्रालयों/विभागों/संस्थानों आदि को भेजे जाने वाले सभी अ.शा. पत्रों को अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही भेजे। जहां संभव न हो वहां पर उनके ऊपर आवरण पत्र लगाकर 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों को हिन्दी में ही भेजे।
3. परिषद के सभी संस्थानों में यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन हो रहा है ताकि संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े।

सचिव महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ उद्घाटन समारोह समाप्त हुआ तथा उसके पश्चात् प्रश्न मंच प्रतियोगिता आयोजित की गई।

— ×××××× —

दिनांक 15.09.2016 को हिन्दी चेतना मास 2016 के उद्घाटन समारोह एवं डेयर सहित परिषद की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विशेष बैठक में भाग लेने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की सूची

1	श्री छबिलेन्द्र राउल, अपर सचिव, डेयर एवं सचिव, भाकृअप
2	श्री देवेन्द्र कुमार, निदेशक (वित्त)
3	श्री के.के. कुलश्रेष्ठ, उप सचिव (सा.प्र.स.)
4	श्री एस.के. सिंह, विधि सलाहकार
5	श्री अशोक कुमार, अवर सचिव (आकस्मिक)
6	डॉ. ए.के. बाबा, प्रधान वैज्ञानिक
7	श्री राजीव माहेश्वरी, विशेषकार्याधिकारी
8	श्री ओ.पी. नागर, उप निदेशक (वित्त)
9	श्री एस.के. सिन्हा, अवर सचिव
10	श्री जितेन्द्र मिश्रा, अवर सचिव (डेयर)
11	डॉ. पूरन सिंह, सहायक निदेशक (राजभाषा) डेयर
12	श्रीमती सीमा चोपड़ा, उप निदेशक (राजभाषा)
13	श्रीमती सुजाता जेठी, निदेशक (राजभाषा) एवं सदस्य सचिव

इस बैठक में प्रश्नमंच प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लगभग 45 अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे।